



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

सं.अ.सं.वि./क्रमांक/2053/2019

दिनांक 26-07-2019

परिपत्र

प्रति,

संचालक,

समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएं,

विषय: संस्था के नाम के साथ कॉलेज/महाविद्यालय शब्द का उपयोग करने के संबंध में निर्देश।

विश्वविद्यालय से संबद्ध ऐसी समस्त अध्ययन संस्थाएं जिनके द्वारा संस्था के नाम के साथ "कॉलेज" अथवा "महाविद्यालय" शब्द जोड़ा जा रहा है को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय रेग्यूलेशन 18/2008 की कंडिका 12.2 के अंतर्गत संस्था के नाम में उक्त शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित है ("The University disallows use of the words "National, College, Mahavidyalaya, International, All India, Indian in the name of An Institute. However such institutions who have been recognized by any other university or AICTE or NCTE as a college will be allowed to use the word "College" in their name. Such institutions will be required to submit a copy of their recognition certificate/order.")। यह छूट केवल ऐसी संस्थाओं को दी गई है, जो पूर्व से किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है तथा जिन्हें उक्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा उक्त आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बशर्ते वो इस विश्वविद्यालय की संबद्धता के लिए आवश्यक अर्हता (स्थान, शिक्षक, लैब आदि) पूर्ण करती हों। अन्य समस्त संस्थाओं द्वारा "कॉलेज/महाविद्यालय" शब्द का उपयोग किया जाना नियम विरुद्ध है।

अतः ऐसी समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नाम से कॉलेज अथवा महाविद्यालय शब्द विलोपित करते हुए विश्वविद्यालय को परिपत्र जारी होने से सात दिवस की अवधि में अवगत करावें। इस नियम का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

डॉ. मनीष माहेश्वरी

(निदेशक, ए.एस.आई.)

पृ. क्र. सं.अ.सं.वि./क्रमांक/313/2019

भोपाल, दिनांक 26-07-2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुपालनार्थ।
2. प्रभारी, वेबमास्टर, मा.च.रा.प.एवं सं.वि.वि.,भोपाल को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

डॉ. मनीष माहेश्वरी

(निदेशक, ए.एस.आई.)